भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3887

जिसका उत्तर 18 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है ।

27 अग्रहायण, 1946 (शक)

स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को सहायता

3887.डां. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का न केवल विकसशील देशों, बल्कि विकसित देशों को भी आकर्षित करने के लिए स्वदेशी इलेक्टॉनिक उद्योग को इलेक्टॉनिक सामानों के अग्रणी निर्माता के रूप में विकसित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा चिह्नत की गई वे कमियां कौन-सी जो देश को यह वांछित स्थिति प्राप्त करने से रोक रही हैं;

(ग) सरकार द्वारा उक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार उद्योग जगत की कंपनियों को अपेक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार सरहायता प्रदान करेगी?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से(घ): भारत सरकार देश के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक और सुदृढ़करने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन (जीवीसी) में भारत की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2014-15 में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 1,90,366 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 17% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर ('सीएजीआर') के साथ 9,52,000 करोड़ रुपये हो गया है। भारत अब एक ऐसे चरण में पहुंच गया है जहां भारत में इस्तेमाल होने वाले 99.2% मोबाइल हैंडसेट घरेलू तौर पर निर्मित होते हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2014-15 में भारत मोबाइल आयात करने वाले देश की तुलना में मोबाइल निर्यात करने वाला देश बन गया हैजब भारत में बिकने वाले लगभग 74% मोबाइल फोन का आयात किया गया था। उद्योग के अनुमान के अनुसारइलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में लगभग 25 लाख रोजगार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) उत्पन्न हुए हैं।

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को कई कारकों के कारण प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में लागत संबंधी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें अन्य बातों के साथउच्च पूंजीगत व्यय की आवश्यकता, उच्च उत्पादन अवधि, उत्पादन का स्तर, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और गुणवत्ता के साथ-साथ मूल्य पर सभी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना शामिल है।

भारतीय कंपनियों को इन कमियों से उभरने में सक्षम बनाने के लिए सुधारात्मक उपाय के रूप में भारत सरकार ने घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने, आयात निर्भरता को कम करने और भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए कई पहलेंकी हैं। इन पहलों का विवरण **अनुबंध ।** में दियागया है।

****

अनुबंध I

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

1. **भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए कार्यक्रम (सेमिकोन इंडिया कार्यक्रम):**
सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है। पहले से ही स्थापित सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र वाले देशों और उन्नत नोड प्रौद्योगिकियों के स्वामित्व वाली सीमित संख्या वाली कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों को देखते हुए कार्यक्रम को और संशोधित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले विनिर्माण और डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है । यह वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की बढ़ती उपस्थिति का मार्ग प्रशस्त करेगा।

   उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित चार योजनाएं शुरू की गई हैं:

   i. देश में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाएं स्थापित करने के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए '**भारत में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने की योजना**' इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और एक विश्वसनीय मूल्य श्रृंखला स्थापित करने में मदद करने के लिए है।यह योजना भारत में सिलिकॉन सीएमओएस आधारित सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए परियोजना लागत के 50% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
   ii. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए देश में टीएफटी एलसीडी या एएमओएलईडी आधारित डिस्प्ले पैनल के विनिर्माण के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए '**भारत में डिस्प्ले फैब स्थापित करने की योजना'**। इस योजना के तहत भारत में डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 50% राजकोषीय समर्थन समान आधार पर दिया जाता है।
   iii. **'भारत में कम्पाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए योजना'** भारत में कम्पाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर (एमईएमएस सहित) फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए समान आधार पर पूंजीगत व्यय का 50% राजकोषीय समर्थन प्रदान करेगी।'
   iv. '**डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना'** एकीकृत सर्किट (आईसी), चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स (एसओसी), सिस्टम और आईपी कोर और सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिजाइन के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन के विकास और परिनियोजन के विभिन्न चरणों में वित्तीय प्रोत्साहन, डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता प्रदान करती है। यह योजना पात्र व्यय के 50% तक "उत्पाद डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन" प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति आवेदन ₹15 करोड़ है और 5 वर्षों में शुद्ध बिक्री कारोबार के 6% से 4% तक "परिनियोजन लिंक्ड प्रोत्साहन" प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति आवेदन ₹30 करोड़ है।

   उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त, सरकार ने सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला, मोहाली को ब्राउनफील्ड फैब के रूप में आधुनिक बनाने को भी मंजूरी दी है।

2. **बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)** को 01 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित किया गया था, ताकि मोबाइल फोन विनिर्माण और असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) इकाइयों सहित निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण में शामिल पात्र कंपनियों को वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष की तुलना में) पर 4% से 6% का प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। इस योजना के तहत **16आवेदनों** को मंजूरी दी गई है। **(ग्लोबल चैंपियंस श्रेणी के तहत 5, इंडियन चैंपियंस श्रेणी के तहत 5 और इलेक्ट्रॉनिक घटक श्रेणी के तहत 6 कंपनियां**)

   उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के पहले दौर की सफलता के बाद, दूसरे दौर के तहत **16 कंपनियों** को भारत में निर्मित और लक्षित खंड के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर पात्र कंपनियों को **चार (4) वर्षों की अवधि के लिए 5% से 3%** तक प्रोत्साहन प्रदान करने की मंजूरी दी गई।

इस योजना ने 9,349 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया गया है और 1,28,688 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है । अक्टूबर 2024 तक इस योजना के तहत उत्पादन 6,14,115 करोड़ रुपये है।

3. **आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)** 03 मार्च, 2021 को अधिसूचित की गई थी ताकि पात्र कंपनियों को चार (4) वर्ष की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्षित खंड के अंतर्गत आने वाले सामानों की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष की तुलना में) पर 4% से 2% / 1% का प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। पीएलआई योजना के तहत लक्षित खंड में (i) लैपटॉप (ii) टैबलेट (iii) ऑल-इन-वन पीसी और (iv) सर्वर शामिल हैं।

   इसके अलावा, आईटी हार्डवेयर 2.0 के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को29 मई, 2023 को 17,000 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया, जो 6 वर्षों की अवधि के लिए लक्षित खंड उत्पादों की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष की तुलना में) पर लगभग 5% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करता है। लक्षित खंड उत्पादों में शामिल हैं: लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर।

   योजना ने 501 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है और 4लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया है । इस योजना के तहत अक्टूबर 2024 तक उत्पादन 10,245 करोड़ रुपये है।

4. **इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर्स (एसपीईसीएस) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को** 01 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित किया गया था, ताकि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की डाउनस्ट्रीम मूल्य श्रृंखला, यानी इलेक्ट्रॉनिक घटक, सेमीकंडक्टर/डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाइयाँ, एटीएमपी इकाइयाँ, विशेष उप-असेंबली और उपरोक्त वस्तुओं के विनिर्माण के लिए पूंजीगत सामान शामिल करने वाली इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की पहचान की गई सूची के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। यह योजना 31.03.2024 को नए आवेदन प्राप्त करने के लिए बंद कर दी गई है और कार्यान्वयन मोड में है।

   इस योजना ने 9,168 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है और 38,769 लोगों को रोजगार दिया है । नवंबर 2024 तक इस योजना के तहत उत्पादन 24,050 करोड़ रुपये है।

5. **संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना को** 01 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रमुख वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को उनकी आपूर्ति श्रृंखला के साथ आकर्षित करने के लिए रेडी बिल्ट फैक्ट्री (आरबीएफ) शेड / प्लग एंड प्ले सुविधाओं सहित सामान्य सुविधाओं और सुख-सुविधाओं के साथ विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए समर्थन प्रदान करना है।

   देश भर में ईएमसी परियोजनाओं और सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।

   इस योजना ने अक्टूबर 2024 तक 8,490 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है और 8,950 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किया है ।

6. **संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस):** इस योजना को 27 जुलाई**,** 2012 को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और अक्षमता की भरपाई के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया गया था। योजना की अवधि बढ़ाने**,** 15 और उत्पाद वर्टिकल को शामिल करके योजना के दायरे को बढ़ाने और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए अगस्त**,** 2015 में इसमें संशोधन किया गया था। निवेश में तेजी लाने के लिए जनवरी2017 में इस योजना में और संशोधन किया गया था। यह योजना पूंजीगत व्यय के लिए सब्सिडी प्रदान करती है - विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में निवेश के लिए 20% और गैर-एसईजेड में 25%। प्रोत्साहन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और घटकों की 44 श्रेणियों/वर्टिकल के लिए उपलब्ध हैं**,** जो संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण मूल्य श्रृंखला को कवर करते हैं। यह योजना 31.12.2018 तक नए आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली थी और कार्यान्वयन मोड में है।

   इस योजना ने 45**,**095 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है और 1**,**71**,**499 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया है। योजना के तहत अक्टूबर 2024 तक उत्पादन 13**,**35**,**035 करोड़ रुपये है।

7. **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना** : निवेश आकर्षित करने के लिए सामान्य सुविधाओं और सुख-सुविधाओं के साथ-साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना 22 अक्टूबर, 2012 को अधिसूचित की गई थी।

इस योजना ने अक्टूबर 2024 तक 17,198 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है और 67,905 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किया है ।

8. **इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि (ईडीएफ)** : इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि (ईडीएफ) को पेशेवर रूप से प्रबंधित "डॉटर फंड्स" में भाग लेने के लिए "फंड ऑफ फंड्स" के रूप में स्थापित किया गया है, जो बदले में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के क्षेत्र में नई तकनीक विकसित करने वाले स्टार्टअप्स और कंपनियों को जोखिम पूंजी प्रदान करेगा। इस फंड से इन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 31.10.2024 तक,ईडीएफ ने आठ डॉटर फंड्स में 257.58 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिन्होंने बदले में 128 वेंचर्स/स्टार्टअप्स में 1335.26 करोड़ रुपये का निवेश किया है। समर्थित स्टार्टअप्स में कुल रोजगार 23,000 से अधिक था। समर्थित स्टार्ट-अप्स द्वारा बनाए गए/अधिग्रहित आईपी की संख्या 346 है।
9. **100% एफडीआई** : वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए (भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों को छोड़कर) स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति है जो लागू कानूनों/नियमों; सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन है।
10. **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी)** मोबाइल फोन और उनकी सब-असेंबली/पार्ट्स विनिर्माण में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित किया गया है। परिणामस्वरूप**,** भारत ने इस क्षेत्र में तेजी से निवेश आकर्षित करना शुरू कर दिया है और देश में महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षमताएं स्थापित की गई हैं। मोबाइल फोन का विनिर्माण लगातार सेमी नॉक्ड डाउन (एसकेडी) से पूरी तरह से नॉक्ड डाउन (सीकेडी) स्तर पर पहुंच रहा है**,** जिससे घरेलू मूल्य संवर्धन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।
11. **टैरिफ संरचना** को इलेक्ट्रॉनिक सामानों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए युक्तिसंगत बनाया गया है, जिसमें सेलुलर मोबाइल फोन, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक घटक, टीवी और एलईडी उत्पादों के लिए सेट टॉप बॉक्स शामिल हैं।
12. **पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट** : निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए अधिसूचित पूंजीगत वस्तुओं को "शून्य" मूल सीमा शुल्क पर आयात की अनुमति है।
13. **प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी का सरलीकृत आयात** : इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योग द्वारा उपयोग के लिए कम से कम 5 वर्ष की अवशेषीय अवधि वाले प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी के आयात को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 11.06.2018 के अनुसार खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आवागमन) नियमावली, 2016 में संशोधन के माध्यम से सरल बनाया गया है।
14. **आयु संबंधी प्रतिबंध में ढील** : राजस्व विभाग ने दिनांक 11.09.2018 की अधिसूचना संख्या 60/2018-सीमा शुल्क के माध्यम से दिनांक 14.11.1995 की अधिसूचना संख्या 158/95-सीमा शुल्क में संशोधन किया है, जिसके अंतर्गत भारत में विनिर्मित और मरम्मत या पुनर्संरचना के लिए भारत में पुनः आयातित निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए आयु संबंधी प्रतिबंध को 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया है।
15. **सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017** : 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने और आय और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु, सरकार ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) आदेश दिनांक 15.06.2017 के माध्यम से सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 जारी किया है और बाद में दिनांक 28.05.2018,29.05.2019, 04.06.2020, 16.09.2020 और 19.07.2024 के आदेशों के तहत संशोधन किए हैं।उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में, एमईआईटीवाई ने 14 इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों अर्थात (i) डेस्कटॉप पीसी, (ii) थिन क्लाइंट, (iii) कंप्यूटर मॉनिटर, (iv) लैपटॉप पीसी, (v) टैबलेट पीसी, (vi) डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, (vii) संपर्क और संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड, (viii) एलईडी उत्पाद, (ix) बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल / प्रमाणीकरण उपकरण, (x) बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर, (xi) बायोमेट्रिक आइरिस सेंसर, (xii) सर्वर, (xiii) सेलुलर मोबाइल फोन, (xiv) **सीसीटीवी/वीएसएस** सिस्टमके लिए स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र को स्थानीय आपूर्तिकर्ता से खरीद के लिए अधिसूचित किया है।
16. **अनिवार्य पंजीकरण आदेश (सीआरओ)** : इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012 को अनिवार्य अनुपालन के लिए अधिसूचित किया गया है, ताकि भारत में घटिया और असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात पर अंकुश लगाकर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सीआरओ के तहत 64 उत्पाद श्रेणियों को अधिसूचित किया गया है और यह आदेश 63 उत्पाद श्रेणियों पर लागू है।

******